पत्रावली पेश हुई ... आज कार्य स्थगित (?) के ... है। अतः पूर्ववत पत्रावली 30-5-25 को पेश हो। अभिभाषक पक्षकार स्वयं ज्ञात कर लेवें।

30.5.25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। बहस
अधिवक्तागण उभयपक्षकारान सुनी गई।
प्रार्थनापत्र U/S 212 RT Act प्रार्थीगण (?)
का खारिज किया जाता है, विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर सुना. पत्रा- किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर
बाद तकमील मुल बाद कम्पाइल शामिल रिकार्ड हो।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 45/2015

तारीख दायरा 19.10.2015

उनवान

मदनलाल पुत्र श्री मांग्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद हाल निवासी म0न0 108 सूर्यनगर डकनिया स्टेशन के पास कोटा जिला कोटा राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. सूरजमल पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी विजयपुर तह० सांगोद हाल निवासी लंका कोलोनी मस्जिद के पास बारां।
2. बजरंगलाल पुत्र फत्ता जाति कुम्हार निवासी विजयपुर तहसील सांगोद।
3. रमेशचन्द पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवासी विजयपुर तह० सांगोद।
4. गायत्रीबाई पत्नी हरिबल्लभ जाति मीणा निवासी विजयपुर तह० सांगोद।
5. पार्वतीबाई पत्नी हरिशंकर जाति मीणा निवासी मामोर झोपडिया तह० कनवास।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
7. रामेश्वर पुत्र परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सांगोद।
8. हरिबल्लभ पुत्र परमानन्द जाति मीणा निवासी विजयपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थी)

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील अप्रार्थीगण)

Scanned with OKEN Scanner

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि–

- ग्राम विजयपुर पटवार क्षेत्र बोरीना कलां तहसील सांगोद में खसरा न0 310 की 1.20 हेक्टर, खसरा न0 311 की 0.08 हेक्टर, खसरा न0 313 की 0.24 हेक्टर, खसरा न0 317 की 0.04 हेक्टर, खसरा न0 318 की 0.05 हेक्टर, खसरा न0 319 की 0.04 हेक्टर, खसरा न0 320 की 0.26 हेक्टर, खसरा न0 321 की 0.60 हेक्टर, खसरा न0 322 की 0.89 हेक्टर, खसरा न0 323 की 0.58 हेक्टर, खसरा न0 324 की 0.34 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 11 की कुल 4.32 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी व उसकी बहन अनोखबाई का हिस्सा 1/8 है। प्रार्थी की बहन अनोखबाई ने उसके 1/16 हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 18.9.2015 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में रिलीज कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी उसकी बहन अनोखबाई के 1/16 हिस्से का भी खातेदार कृषक हो चुका है।
- उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी, उसकी बहन अनोखबाई, माँ छोटी बाई व सगे भाई राधाकिशन तथा अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 के संयुक्त खाते एवं कब्जे की रही है, जिसका विधिवत विभाजन पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक इन्च पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान का हक व हिस्सा है।
- प्रार्थी पिछले कई वर्षों से कोटा में निवास कर रहा है तथा उसने उसके हिस्से की कृषि भूमि को मुनाफा काश्त पर काश्त करने के लिए अपने सगे भाई राधाकिशन को दिया था तथा राधाकिशन ही उक्त कृषि भूमि में आपसी सहमति से 1/4 हिस्से पर काश्त करके मुनाफा राशि प्रार्थी के हिस्से के अनुरूप उसको संभला देता था। पिछले 5–7 सालों से प्रार्थी के सगे भाई राधाकिशन ने प्रार्थी को उसके मुनाफे काश्त की राशि का भुगतान नहीं किया था व देने में लगातार ना नूकर कर रहा था। इसलिए प्रार्थी ने उसके व उसकी बहन अनोखबाई के हिस्से की भूमि को स्वयं ने काश्त करने का निश्चय किया, तो उसकी जानकारी में आया कि राधाकिशन ने माँ छोटीबाई के हिस्से सहित उनके 1/8 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं. 4 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया है। उक्त रजिस्ट्री की आड में अप्रार्थी नं. 4 ने प्रार्थी व उसकी बहन अनोखबाई के 1/8 हिस्से की भूमि पर भी अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी को उक्त तथ्य का पता लगने पर लगभग 2 वर्ष पूर्व अप्रार्थी सं0 4 से कृषि भूमियो का बंटवारा कर प्रार्थी को उसके व उसकी बहन के हिस्से की कृषि भूमि को संभलाने की कहा, तो उसने कहा, कि मै आपको आपके हिस्से की भूमि के एवज मे मुनाफा कास्त की रकम हिसाब करके दे दूंगी।

- इस वर्ष अप्रेल माह में प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 4 से प्रार्थी व उसकी बहन अनोखबाई के हिस्से की कृषि भूमि की मुनाफे कास्त की रकम की मांग की तो उसने 2–3 महिने में अदा करने को कहा। इस पर प्रार्थी ने पुनः माह अगस्त में रुपये की मांग की तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि रुपये भी नहीं मिलेंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी। इस पर प्रार्थी ने माह सितम्बर में अपने अधिवक्ता से मिलकर कृषि भूमियो का विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का निवेदन किया। इसी बीच प्रार्थी की जानकारी में आया,कि अप्रार्थी सं. 4 ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज उसके 1/8 हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.9.2015 के द्वारा अप्रार्थी सं. 5 को विक्रय कर दिया है और प्रार्थी व बहन अनोखबाई के 1/8 हिस्से की कृषि भूमि पर उक्त अप्रार्थी सं. 4 व 5 संयुक्त रुप से कब्जा किये हुए है, जबकि अप्रार्थी सं. 4 व 5 की हैसियत उक्त कृषि भूमि में अजनबी की है, जो कि बगैर विभाजन कृषि भूमि की किसी भी हिस्से पर काश्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी क्रम 4 व 5 ने अवैधानिक रुप से बगैर कृषि भूमि का विभाजन कराये प्रार्थी व बहन अनोखबाई के 1/8 हिस्से की भूमि पर अवैध रुप से कब्जा किया हुआ है तथा प्रार्थी को रिक्त आधिपत्य संभलाने को तैयार नहीं है और प्रार्थी को उसके 1/8 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित कर रखा है, इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त उनवान के वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर आराजी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, यही इस प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु है।

- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम विजयपुर पटवार क्षेत्र बोरीना कलां तहसील सांगोद में खसरा न0 310 की 1.20 हेक्टर, खसरा न0 311 की 0.08 हेक्टर, खसरा न0 313 की 0.24 हेक्टर, खसरा न0 317 की 0.04 हेक्टर, खसरा न0 318 की 0.05 हेक्टर, खसरा न0 319 की 0.04 हेक्टर, खसरा न0 320 की 0.26 हेक्टर, खसरा न0 321 की 0.60 हेक्टर, खसरा न0 322 की 0.89 हेक्टर, खसरा न0 323 की 0.58 हेक्टर, खसरा न0 324 की 0.34 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 11 की कुल 4.32 हेक्टर कृषि भूमि पर ताफैसला वाद तहसीलदार सांगोद को रिसीवर नियुक्त किया

Scanned with OKEN Scanner

जाकर उक्त आराजी को रिसीवर किये जाकर काश्त की व्यवस्था करवाये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे।

- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 6 प्रकरण में फार्मल पक्षकार है।
- अप्रार्थी सं. 4 व 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.05.1998 को इकरारनामा निष्पादित कर अपनी आराजी को विक्रय कर राशि प्राप्त कर ली तथा कब्जा आराजी क्रेता को सौंप दिया। इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
- अप्रार्थी सं. 7 व 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त आराजी का प्रार्थी के पिता के समय से ही आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है। प्रार्थ्थी के पिता की मृत्यु बाद उसके हिस्से की आराजी पर प्रार्थी उसका भाई राधेश्याम या छोटी बाई व बहिन अनोख बाई हकदार बने जिनके द्वारा उनकी आराजी दिनांक 18.05.1998 को ही आग्रार्थी क्र. 7 व 8 को विक्रीत कर दी गई थी तथा सम्पूर्ण राशि लेकर कब्जा आराजी पर सौप दिया था। अप्रार्थी क. 7, 8 के पक्ष में विक्रय इकरार नामा निष्पादित कर दिया गया था। इसलिए प्रार्थी का हकदार होने व हिस्सा होने का तथ्य पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है।
- प्रार्थी के पिता स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान द्वारा उनके हिस्सें व कब्जे काश्त की आराजी को अप्रार्थी क्र. 7 व 8 को विक्रय कर दी गई तथा यह इकरार किया कि पिता का इन्तकाल खुलते ही बहिन अनोख के साथ विक्रय विलेख की रजिस्ट्री करवा देंगे तथा इकरार नामे पर प्रार्थी उसके भाई राधाकिशन व उत्तकी मां छोटी बाई द्वारा निष्पादन के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा साक्ष्यों हरिशंकर मीणा, प्रहलाद गोचर व बाबुलाल के समक्ष कर दिये तथा नोटेरी से तस्दीक करवा दिया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्य भी कि राधेश्याम द्वारा मुनाफा राशि देने तथा 5–7 वर्षों से मुनाफा राशि नहीं देने तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले तथ्य व अन्य वर्णित शेष सभी तथ्य झूठे व बनावटी है।

Scanned with OKEN Scanner

- उक्त क्रेता अप्रार्थी क्रं. 7 व 8 रामेश्वर व हरिबल्लभ द्वारा प्रार्थी व उसके भाई से कई बार रजिस्ट्री करवाने बाबत कहा तो इन्तकाल का बहाना फिर अन्य बहाने करते रहे तब अधिक जोर देने पर इन्तकाल तस्दीक होने बाद राधाकिशन व उसकी मां द्वारा उनके हिस्से की आराजी की दिनांक 23.06.2008 को रजिस्ट्री करवा दी जो कि अप्रार्थी क्रं. 8 की पत्नि अप्रार्थी क्रं. 4 के नाम करवाई गई। शेष 1/8 भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए भी उसके बाद कई बार राधेश्याम तथा प्रार्थी से कहा गया तो प्रार्थी जो कि वर्षों से कोटा रहने लगा ने शीघ्र ही रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया गया तत्पश्चात अप्रार्थी क्रं. 4 द्वारा भी उक्त भूमि दिनांक 22.09.2015 को अप्रार्थी क्रं. 5 को विक्रय कर दी गई तथा इकरार नामे मे क्रेता अप्रार्थी क्रं. 7 रामेश्वर द्वारा भी अप्रार्थी क्र. 5 को अपनी क्रयशुदा 1/8 हिस्से की आराजी विक्रय करना इकरार किया तथा हरिशंकर जी, अप्रार्थी क्रं. 7 रामेश्वर व प्रार्थी के भाई राधेश्याम ने प्रार्थी से कोटा जाकर कहा की वह सांगोद आकर रजिस्ट्री करवाये तो उसने शीघ्र आकर रजिस्ट्री कराने का विश्वास दिलाया किन्तु प्रार्थी ने बेईमानी आ जाने से बहिन अनोख बाई को लाकर अप्रार्थी क्रं. 7 रामेश्वर मीणा या उसके द्वारा विक्रय के क्रेता अप्रार्थी क्रं. 5 के पक्ष में विक्रय विलेख की रजिस्ट्री नही करवा कर प्रार्थी ने उसकी बहिन अनोख बाई से दिनांक 18.09.2015 को ही स्वयं के पक्ष में रिलीज डिड करवा ली थी एवं बदनियति से रामेश्वर या उसके क्रेता अप्रार्थी क्रं. 5 के पक्ष मे रजिस्ट्री नही करवाई जिसकी जानकारी होने पर हरिशंकर व रामेश्वर तथा प्रार्थी के भाई राधेश्याम ने प्रार्थी से ईमानदार रहकर रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा किन्तु प्रार्थी द्वारा विक्रय विलेख की रजिस्ट्री नही करवाकर बदनियति पूर्वक उक्त वाद सम्मानीय न्यायालय में दायर किया है जो कि उक्त वास्तविक तथ्यों के मध्यनजर निरस्तनीय है।

- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।

- मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

Scanned with OKEN Scanner

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी जरिये इकरारनामा क्रय करना वर्णित किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त इकाराननामा कूटरचित है अथवा सही इसका निर्धारण मूल वाद में तनकीवार साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है तथा इकरारनामा की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त ही तय किया जाना संभव होगा कि विवादित आराजी में प्रार्थी का सत्व निहित है अथवा नहीं। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुनाफा काश्त पर देना तथा कई वर्षों से मुनाफा काश्त के पैसे नहीं मिलना अवगत करवाया है जिस कारण प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा संदेहास्पद है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल नहीं है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक

Scanned with OKEN Scanner

मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों ही विवादित आराजी के रेकार्डेड सहखातेदार हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

–: आदेश :–

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा इकरारनामा दिनांक 18.05.1998 का वर्णन अपने वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पेश किया गया है तथा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner